



गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

(A STATUTORY BODY OF GOVERNMENT OF INDIA)

Hans Bhawan Wing-II, 1, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Website: www.ncte-india.org

PUBLIC NOTICE

The National Council for Teacher Education (NCTE) invites applications for recognition of teacher training programmes for the academic session 2016-17, except the States and UT(s), with listed programmes, as indicated in para 2 below. The applications in the prescribed form should be submitted "ONLINE" to the concerned Regional Committee along with fee and requisite documents as prescribed in NCTE (Recognition, Norms & Procedure) Regulations, 2014 from 1st March, 2015 to 31st May, 2015 only.

2. The NCTE with a view to achieve planned and coordinated development of teacher education system and in order to regulate the growth of teacher education at all levels, has decided, on the basis of state-wise study conducted on 'Demand and Supply' of teachers and also in consultation with the State Govts. / UTs, not to accept applications for recognition of teacher training institutions/programmes including additional intake / increase in seats in the existing recognized programmes, additional programmes for the academic session 2016-17 in the following States / UT (s) for the programme(s) specified against each:

Sl.No.	Name of the State / UT	Programmes for which applications will not be accepted
1.	Haryana	D.El.Ed.
2.	Himachal Pradesh	D.El.Ed.
3.	Maharashtra	D.El.Ed.
4.	Punjab	D.El.Ed., B.Ed., B.Ed.(ODL), D.Ed.(Part-time)
5.	Madhya Pradesh	D.El.Ed. except the following twenty districts (1) Shyampur (2) Ashok Nagar (3) Damoh (4) Satna (5) Shahdol (6) Rattlam (7) Ujjain (8) Shajapur (9) Jhabua (10) Dhaat (11) Khandwa (12) Burhanpur (13) Alirajpur (14) Rajgarh (15) Raisen (16) Harda (17) Katni (18) Narsingpur (19) Mandla (20) Sivni
6.	Telangana	DPSE, D.El.Ed., D.El.Ed (ODL), D.P.Ed, Diploma in Art Education (Visual Arts and Performing Arts)

3. The above restrictions will not apply in case of Minority Educational Institutions established under Article 30 of the Constitution.
4. This step of banning for certain programmes as stipulated under para 2 above is being taken by NCTE for the Academic Session 2016-2017 only.
5. For further details and online submission of applications, please visit website <http://www.ncte-india.org>.

Member Secretary



राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

(भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)

इंस. भवन, विंग-II, 1, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

वेबसाइट: www.ncte-india.org

सार्वजनिक सूचना

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मान्यता के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें सूचीबद्ध कार्यक्रम सहित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं हैं, जैसा निम्नलिखित पैरा 2 में बताया गया है। निर्दिष्ट प्रपत्र में आवेदन संबंधित क्षेत्रीय समिति में "ऑनलाइन" जमा किए जाएं और इसके साथ एनसीटीई (मान्यता, मानक और प्रक्रिया) विनियमन, 2014 में निर्दिष्ट अपेक्षित शुल्क केवल 1 मार्च 2015 से 31 मई 2015 तक जमा किए जाएं।

2. एनसीटीई ने सभी स्तरों पर अध्यापक शिक्षा की वृद्धि के नियमन के लिए और अध्यापक शिक्षा प्रणाली के योजनाबद्ध तथा समन्वित विकास के दृष्टिकोण से अध्यापकों की "मांग और आपूर्ति" पर आयोजित राज्यव्यापी अध्ययन तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से निर्दिष्ट कार्यक्रमों में से प्रत्येक के लिए निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु मौजूदा मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों, अतिरिक्त कार्यक्रमों में अतिरिक्त स्थान बनाने/कार्यक्रमों में स्थान बढ़ाने सहित अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों/कार्यक्रमों की मान्यता के लिए आवेदन स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया है।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वे कार्यक्रम जिनके लिए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे
1.	हरियाणा	डो.ईएल. एड.
2.	हिमाचल प्रदेश	डो.ईएल. एड.
3.	महाराष्ट्र	डो.ईएल. एड.
4.	पंजाब	डो.ईएल. एड., बी. एड., बी. एड. (ओडीएल), बी. एड. (अंशकालिक)
5.	मध्य प्रदेश	डो.ईएल. एड. निम्नलिखित बीस जिलों के अलावा (1) शियोपुर (2) अशोक नगर (3) दमोह (4) सतना (5) शहडोल (6) रतलाम (7) सज्जैन (8) शाजापुर (9) झाबुआ (10) धार (11) खंडवा (12) बुरहानपुर (13) अलिराजपुर (14) राजगढ़ (15) रायसेन (16) हरदा (17) कटनी (18) नरसिंहपुर (19) मंडला (20) शिवनी
6.	तेलंगाना	कला शिक्षा (विजुअल आर्ट और प्रदर्शन कलाएं) में डीपीएसई, डी.ईएल. एड., डी.ईएल. एड. (ओडीएल), डी.पी. एड. डिप्लोमा
3.	संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत स्थापित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के मामले में उपरोक्त प्रतिबंध लागू नहीं होंगा।	
4.	यह कदम केवल शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए एनसीटीई द्वारा उपरोक्त पैरा 2 के तहत निर्धारित विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए उठाया जा रहा है।	
5.	विस्तृत विवरण और आवेदन ऑनलाइन जमा करने के लिए कृपया वेबसाइट http://www.ncte-india.org पर देखें।	

सदस्य सचिव